वी.बी.प्रसाद

बनाम

प्रबंधक, पी.एम.डी.यू.पी. स्कूल और अन्य

अप्रैल 10, 2007

[एस.बी. सिन्हा और मार्कंडेय काटजू, न्यायाधिपतिगण]

सेवा कानून:

पदोन्नति/नियुक्ति-पात्रता शर्त-निर्धारित: किसी व्यक्ति की किसी विशेष पद पर पदोन्नति/नियुक्ति के संबंध में विचार करने से पहले संतुष्ट होना चाहिए - केरल शिक्षा नियम-आरआर 45 और 44-केरल शिक्षा अधिनियम।

पदोन्नति/नियुक्ति - प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर के पद पर - दो दावेदार, प्रतिवादी संख्या 2 और संख्या 6 - प्रतिवादी संख्या 2 नियुक्त - प्रतिवादी संख्या 6 की चुनौती को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने बरकरार रखा - अपीलकर्ता जिसे उक्त पद के लिये कभी विचार नहीं किया गया और प्रतिवादी नंबर 2 व 6 के बीच किसी भी न्यायालय कार्यवाही में वह पक्षकार नहीं था, जिसने इंट्रा-कोर्ट अपील दायर की थी कि उसे हेडमास्टर के पद के लिए विचार किया जाना चाहिए था- निर्धारित: प्रासंगिक समय पर अपीलकर्ता तस्वीर में कहीं नहीं था- उसके कहने पर, न्यायालय एक बड़े प्रश्न पर विचार नहीं कर सकता है जो सीधे उसके विचार के लिए नहीं उठाया गया था - जो सीधे नहीं किया जा सकता है, वह अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है - केरल शिक्षा नियम - आरआर 45 और 44 - केरल शिक्षा अधिनियम।

क़ानून की व्याख्या- वैधानिक प्रावधान से जुड़ा नोट- निर्धारित: मूल प्रावधान के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए, ना कि उसके निरादर में।

विचाराधीन प्राथमिक विद्यालय संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) के अर्थ के तहत एक अल्पसंख्यक संस्थान है। विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद के लिए दो दावेदार थे, प्रतिवादी संख्या 2 और प्रतिवादी संख्या 6। केरल शिक्षा अधिनियम के तहत बनाए गए केरल शिक्षा नियमों के नियम 45 में पात्रता की शर्तें निर्धारित की गई हैं जैसे कि हेडमास्टर पद के लिए आवश्यक योग्यता/शिक्षण अनुभव। प्रतिवादी संख्या 2 की नियुक्ति की गई थी जिसे प्रतिवादी संख्या 6 ने रिट याचिका दायर करके चुनौती दी थी। पश्चावर्ती ने ने पूर्ववर्ती की तुलना में नियुक्ति के अधिमान्य अधिकार का दावा किया। याचिका को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अनुमति दी थी।

अपीलकर्ता, स्कूल में एक ड्राइंग शिक्षक, प्रतिवादी संख्या 2 या 6 द्वारा शुरू की गई किसी भी कार्यवाही में पक्षकार नहीं था और उसके मामले पर स्कूल के प्रबंधन या सरकार या न्यायालय द्वारा कभी विचार नहीं किया गया। उसने एक इंट्रा-कोर्ट अपील दायर किया जिसमें यह तर्क दिया गया कि हेडमास्टर के पद पर नियुक्ति के लिए उनके नाम पर विचार किया जाना चाहिए था, क्योंकि उनके पास अपेक्षित योग्यताएं थीं। उनके मुताबिक विशेषज्ञ शिक्षक होने के नाते उनका मामला नियम 45 में संलग्न नोट के दायरे में आता है।

वर्तमान अपील में विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह है कि क्या अपीलकर्ता हेडमास्टर के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का हकदार है।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए निर्धारित किया कि:

1. अपीलकर्ता ने 17.07.1978 को ड्राइंग शिक्षक के रूप में विघालय में नियुक्त हुआ और 02.06.1980 से नियमित आधार पर काम कर रहा है। एक शिक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, अपीलकर्ता ने 01.06.1991 से दो साल के लिए उच्च अध्ययन के लिए अध्ययन अवकाश के लिए आवेदन किया और स्वीकृत किया।

वह दिनांक 28.02.1993 तक अवकाश पर रहा। वह ऐसा उम्मीदवार नहीं था जिस पर हेडमास्टर पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया गया था। उन्होंने निर्विवाद रूप से प्रतिवादी नंबर 2 की नियुक्ति के लिए सहमति दी। इसलिए, उसका मामला कभी भी स्कूल प्रबंधन या सरकार या उच्च न्यायालय द्वारा विचाराधीन नहीं हुआ। (पैरा 8) (1081-जी-एच; 1082-ए-बी]

2. फिलहाल यह माना जा सकता है कि चूंकि अप्रैल 1980 में उन्होंने बी.एड की योग्यता भी हासिल कर ली थी, उनके मामले पर भी नियम 45 के अनुसार विचार किया जा सकता था; यद्यपि यह कानून का सुस्थापित सिद्धांत है कि वैधानिक प्रावधान या अधीनस्थ कानून से जुड़े नोट को मूल प्रावधान के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए, न कि उसके निरादर में। प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव अनिवार्य था। ऐसा शिक्षण अनुभव 'शिक्षण अनुभव' होना था, ना कि समझा हुआ शिक्षण अनुभव। (पैरा 10) (1083-सी)

पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड बनाम ज़ोरा सिंह और अन्य, (2005) 6 एससीसी 776 और ए. पी. एसआरटीसी बनाम सरकार, आइएलआर (2001) एपी 1, संदर्भित

3. अपीलकर्ता दिनांक 01.06.1991 से 28.02.1993 की अवधि के लिए अध्ययन अवकाश पर था। उक्त अवधि के दौरान, वह पढ़ा नहीं रहा था। उक्त अवधि के दौरान उन्हें कोई शिक्षण अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। यदि उक्त अवधि को नियमावली के नियम 45 के तहत परिकल्पित शिक्षण अनुभव की गणना के उद्देश्य से बाहर रखा जाता है, तो हेडमास्टर के पद पर पदोन्नति के लिए उनके विचार किए जाने का सवाल ही नहीं उठता। किसी व्यक्ति को किसी विशेष पद के संबंध में पदोन्नति/नियुक्ति के लिए विचार करने से पहले पात्रता शर्त पूरी होनी चाहिए। [पैरा 14] [1084-बी]

4.1 अपीलकर्ता का यह तर्क कि उच्च न्यायालय इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा कि नियम 45 अल्पसंख्यक संस्थान को नियंत्रित नहीं करेगा, खारिज कर दिया गया है। नियम 45 की वैधता को चुनौती नहीं दी गई है। वह, किसी भी स्थिति में, उक्त विवाद नहीं उठा सकता। इस आशय का विवाद केवल संस्था द्वारा ही उठाया जाएगा। इसने विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत नहीं की है। क्या प्रतिवादी नंबर 2 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) के तहत संरक्षित उसके अल्पसंख्यक चरित्र को देखते हुए प्रबंधन द्वारा वैध रूप से नियुक्त किया जा सकता है, इसलिए यह विचार का विषय नहीं है। [पैरा 15] {1084-सी-डी}

4.2. यह तर्क कि, इस तरह का आक्षेप अपीलकर्ता के लिए भी उपलब्ध है क्योंकि इस परिस्थिति में यदि प्रतिवादी संख्या 2 की नियुक्ति को वैध माना जाता है तो हेडमास्टर का पद उसकी सेवानिवृत्ति पर फिर से खाली होना माना जाना चाहिए, जो अधिकारियों को उसकी पदोन्नति के मामले पर विचार करने में मदद करेगा, को स्वीकार नहीं किया जा सकता। 1994 में रिक्ति उत्पन्न हुयी। स्कूल के प्रबंधन, राज्य सरकार और उच्च न्यायालय की विभिन्न पीठों ने भी विभिन्न मुकदमों में मामले के केवल उस पहलू पर विचार किया, अर्थात्, प्रतिवादी संख्या 6 ने पात्रता मानदंडों को पूरा किया था और इसलिए, उसे नियुक्त किया गया था। प्रासंगिक समय पर अपीलकर्ता तस्वीर में कहीं नहीं था। उनके कहने पर, अदालत किसी बड़े सवाल पर विचार नहीं कर सकती जो सीधे उसके विचार के लिए नहीं उठाया गया था। जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता, यह तय है कि अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता। [पैरा 16,17) [1084-ई-एफ)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1870/2007

डब्ल्यूए संख्या 1163 / 2002 में केरल उच्च न्यायालय की एरनाकुलम पीठ के निर्णय और आदेश दिनांक 07.06.2005 से।

वी. शेखर, पी. श्रीकुमार, एस. गणेश, आर.पी. वाधवानी और प्रदीप के. दुबे अपीलकर्ता की ओर से।

सी.एस. राजन, रमेश बाबू एम.आर. (एनपी), ए. रघुनाथ, सी.के. ससी, जी. प्रकाश और बीना प्रकाश प्रतिवादियों की ओर से।

न्यायालय का फैसला न्यायाधिपति एस.बी. सिन्हा, द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. एक प्राथमिक विद्यालय जिसे 'पी.एम.डी.' के नाम से जाना जाता है। 'उच्च प्राथमिक विद्यालय' की स्थापना वर्ष 1917 में हुई थी। यह एक शैक्षणिक संस्थान है जो केरल शिक्षा अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होता है, जिसे 'केरल शिक्षा नियम' (संक्षेप में, 'नियम') के रूप में जाना जाता है। उक्त अधिनियम और नियमों द्वारा शासित उक्त संस्थान में हेडमास्टर का पद नियमावली के नियम 44 और 45 के तहत भरा जाना था। उक्त स्कूल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (I) के अर्थ के तहत एक अल्पसंख्यक संस्थान कहा जाता है। उक्त विद्यालय में हेडमास्टर का पद 01.06.1994 को या उसके आसपास रिक्त हुआ था। इसके लिए दो दावेदार थे, प्रतिवादी संख्या 2 और 6। प्रतिवादी संख्या 2 को उक्त पद पर नियुक्त किया गया था। विभिन्न पक्षों द्वारा केरल उच्च न्यायालय के समक्ष विभिन्न चरणों में विभिन्न रिट याचिकाएँ दायर की गईं, क्योंकि सक्षम प्राधिकारी ने, स्वयं या रिट याचिकाओं में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, समय-समय पर विभिन्न आदेश पारित किए।

3. चूंकि मुकदमों का इतिहास हमारे उद्देश्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है, हम केवल यह देख सकते हैं कि अंततः प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा दायर की गई रिट याचिका जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 की तुलना में हेडमास्टर के पद पर नियुक्ति के अधिमान्य अधिकार का दावा किया गया है, को केरल उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 08.04.2002 को पारित फैसले व आदेश द्वारा यह निर्देश देते हुए अनुमति दी थी:

> "यह मूल याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है, जिसमें उत्तरदाताओं को उसे 01.06.1994 से प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्त करने और उसे सभी परिणामी लाभ प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की गई है। यहां याचिकाकर्ता ओ.पी. संख्या 3409/99 में पांचवां प्रतिवादी है। उस मूल याचिका को खारिज करने के मद्देनजर, यह मूल याचिका अनुमति देने योग्य है। प्रथम प्रतिवादी को याचिकाकर्ता को 01.06.1994 से प्रधानाध्यापिका के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है और वह कानून के तहत उस नियुक्ति से उत्पन्न होने वाले सभी परिणामी लाभों की हकदार होगी। प्रतिवादी 4 और 5, यदि वे उचित समझते हैं, तो कानून के तहत दूसरे प्रतिवादी को भुगतान की गई किसी भी राशि की वसूली के लिए प्रबंधक के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होंगे।"

4. यहां अपीलकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 या प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा शुरू की गई किसी भी कार्यवाही में पक्षकार नहीं था। उसने इस संबंध में अनुमति प्राप्त करने पर, अन्य बातों के अलावा, इस आधार पर एक इंट्रा-कोर्ट अपील प्रस्तुत की कि उसे हेडमास्टर के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाना था क्योंकि उनके पास अपेक्षित योग्यताएं थीं। स्कूल के प्रबंधक ने फैसले के उस हिस्से के खिलाफ एक रिट

अपील भी दायर की, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 को भुगतान की गई राशि की वसूली के संबंध में एक टिप्पणी विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दी गई थी।

5. प्रतिवादी संख्या 2 ने स्वीकृत रूप से मामला लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्त हो गया था। एक रिट याचिका प्रबंधक द्वारा भी दायर की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकार को हुए नुकसान की भरपाई के लिए कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी।

6. खण्ड पीठ ने यह ध्यान देने के बावजूद कि हालांकि प्रतिवादी नंबर 2 गलत तरीके से नियुक्त किया गया था, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थी, निर्देश दिया कि उसे भुगतान की गई राशि की वसूली नहीं की जाएगी। प्रतिवादी संख्या 6 के दावे के संबंध में, यह निर्देशित किया गया था कि हालांकि उसे 01.06.1994 से प्रधानाध्यापिका के रूप में नियुक्त किया जाएगा, लेकिन उक्त तिथि से प्रतिवादी संख्या 2 की सेवानिवृत्ति तक वेतन के बकाया भुगतान की हकदार नहीं होगी। यह निर्देशित किया गया था:

> "हम विद्वान एकल न्यायाधीश से पूरी तरह सहमत हैं। हम पहले ही निर्धारित कर चुके हैं कि उस अवधि के दौरान जब दूसरा प्रतिवादी वास्तव में काम कर रहा था, उसके वेतन से इनकार नहीं किया जा सकता है और सरकार को भी नुकसान नहीं हुआ है चूंकि हमने पांचवें प्रतिवादी को उस अवधि के बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्देश नही दिया। शैक्षिक प्राधिकरण ने दूसरे अपीलकर्ता की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी। इसलिए, हम यह नहीं कह सकते कि प्रबंधन की कार्यवाही शुद्व नहीं है। इसलिए, ओ.पी. संख्या 39254/ 2003 में प्रबंधक से कथित नुकसान की वसूली का आदेश देने वाला नोटिस प्रदर्श पी 5 रद्द

कर दिया गया है। ओ.पी. संख्या 3409/1999 में सरकार द्वारा पारित प्रदर्श पी 4 की पुष्टि वेतन निकासी के संबंध में न्यायसंगत राहत के संबंध में उपरोक्त निर्देशों के अधीन की जाती है। इस निर्णय में टिप्पणियों के अनुसार बकाया और अन्य लाभों का भुगतान इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर पांचवें प्रतिवादी को किया जाना चाहिए जो ओ.पी. संख्या 4017/ 2002 में याचिकाकर्ता है तथा उसे प्रधानाध्यापिका के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए और दिनांक 1.6.1994 से प्रभावी नियुक्ति आदेश 1 अगस्त, 2005 को या उससे पहले जारी किया जाएगा।"

7. स्कूल के प्रबंधक ने हमारे समक्ष विशेष अनुमति देने के लिए कोई याचिका दायर नहीं की है।

8. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार करने से पहले, हम स्वीकृत तथ्य पर ध्यान दे सकते हैं। प्रतिवादी संख्या 2 दिनांक 16.07.1969 को स्कूल में शामिल हुआ। अपीलकर्ता 17.07.1978 को स्कूल में ड्राइंग शिक्षक के रूप में शामिल हुआ और दिनांक 02.06.1980 से नियमित आधार पर काम कर रहा है। उन्हें दिनांक 06.06.1989 से संरक्षित अध्यापक घोषित किया गया। शिक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, अपीलकर्ता के आवेदन पर उसे दिनांक 01.06.1991 से दो साल के लिए उच्च अध्ययन के लिए अध्ययन अवकाश प्रदान किया गया । वह दिनांक 28.02.1993 तक अवकाश पर रहा। यह स्वीकृत है कि वह वो उम्मीदवार नहीं था जिसे हेडमास्टर पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया गया था। उसने निर्विवाद रूप से प्रतिवादी नंबर 2 की नियुक्ति के लिए सहमति दे दी। इसलिए, उसका मामला कभी भी स्कूल के प्रबंधन या सरकार या उच्च न्यायालय द्वारा विचार के

लिए नहीं आया। उपरोक्त संदर्भ में केरल शिक्षा नियमों के नियम 45, जिसकी व्याख्या हमारे विचार के लिए उपयुक्त है, पर अब ध्यान दिया जा सकता है:

> "45. नियम 44 के अधीन, जब पूर्ण यू.पी. स्कूल के प्रधानाध्यापक का पद रिक्त हो या जब एक अधूरा यू.पी. स्कूल पूर्ण यू.पी. स्कूल बन जाता है, तो उक्त पद शैक्षिक एजेंसी के तहत स्कूल या स्कूलों के कर्मचारियों में से योग्य शिक्षकों में से भरा जाएगा। यदि बी.एड. या अन्य समकक्ष योग्यता वाला कोई स्नातक शिक्षक है और जिसने बी.एड. की डिग्री हासिल करने के बाद शिक्षण में कम से कम पांच साल का अनुभव प्राप्त किया है, तो उसे हेडमास्टर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते उसे वरिष्ठतम स्नातक शिक्षक की सेवा अवधि के आधे के बराबर सेवा अनुभव हो। यदि उपरोक्त योग्यता और सेवा के स्नातक शिक्षक एक ही शैक्षिक एजेंसी के तहत स्कूल या स्कूलों में उपलब्ध नहीं हैं, तो एसएसएलसी या समकक्ष के साथ वरिष्ठतम प्राथमिक विद्यालय शिक्षक और सार्वजनिक परीक्षा बोर्ड केरल द्वारा जारी टी.टी.सी. या कनार्टक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा बोर्ड, बैंगलोर द्वारा जारी टी.सी.एच. या केरल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक वैकल्पिक विषय के रूप में शिक्षाशास्त्र के साथ प्री-डिग्री परीक्षा में उत्तीर्ण या किसी अन्य समकक्ष प्रशिक्षण योग्यता के लिए निर्धारित प्राथमिक विद्यालय सहायक के पद पर नियुक्ति की जा सकती है।
>
> नोट: भाषा/विशेषज्ञ शिक्षकों को, शिक्षकों की संयुक्त वरिष्ठता सूची में उनकी वरिष्ठता के अनुसार, यू.पी. स्कूल के हेडमास्टर के रूप में या किसी शैक्षिक एजेंसी के तहत स्कूलों में भी नियुक्त किया जाएगा, बशर्ते

कि शिक्षक के पास यू.पी. स्कूल के हेडमास्टर के रूप में पदोन्नति के लिए रिक्ति उत्पन्न होने की तिथि पर निर्धारित योग्यता हो।

9. इस प्रकार, उक्त नियम आवश्यक योग्यता प्रदान करता है। नियम 45 में तीन हिस्से है। पहले भाग में एक शिक्षक की योग्यता का प्रावधान है जिसे प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। उसे बी.एड के साथ स्नातक होना चाहिए या अन्य समकक्ष योग्यता और बी.एड डिग्री प्राप्त करने के बाद शिक्षण में कम से कम पांच साल का अनुभव होना चाहिए। नियम के दूसरे भाग में स्नातक शिक्षक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही ऐसे शिक्षकों पर विचार करने का प्रावधान है। निर्विवाद रूप से, प्रतिवादी संख्या 6 शैक्षणिक योग्यता और बीएड के बाद शिक्षण में पांच साल का अनुभव पूरा करता है। उसके दावे को नजरअंदाज करते हुए, प्रतिवादी संख्या 2 को नियुक्त किया गया, जिसका मामला नियम 45 के दूसरे भाग के दायरे में आता है, क्योंकि उसके पास पहले भाग में निर्दिष्ट योग्यता नहीं थी। अपीलकर्ता एक ड्राइंग टीचर था इसलिए, वह एक विशेषज्ञ शिक्षक था। उसके मुताबिक उसका मामला नियम 45 पर लागू 'नोट' के दायरे में आता है।

10. फिलहाल हम यह मान सकते हैं कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसने अप्रैल 1989 में बी.एड. की योग्यता भी हासिल कर ली थी, उनके मामले पर भी नियम 45 के अनुसार विचार किया जा सकता था; यद्यपि यह कानून का सुस्थापित सिद्धांत है कि वैधानिक प्रावधान या अधीनस्थ कानून के साथ संलग्न नोट को मूल प्रावधान के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए, न कि उसके निरादर में। प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव अनिवार्य था। ऐसा शिक्षण अनुभव 'शिक्षण अनुभव' होना था न कि समझा हुआ शिक्षण अनुभव।

11. पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड बनाम जोरा सिंह और अन्य, (2005] 6 एससीसी 776 में, इस न्यायालय ने एपी एसआरटीसी बनाम सरकार, आईएलआर (2001) एपी 1 में आंध्र प्रदेश की पूर्ण पीठ के फैसले पर गौर करते हुए कहा:

> "23. ए.पी. एसआरटीसी बनाम सरकार में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने इस प्रकार मत व्यक्त किया कि: (544, पैरा 31)
>
> 31 (24] पी. रामनाथ अय्यर्स लॉ लेक्सिकन, 1997 संस्करण के अनुसार नोट का अर्थ किसी तथ्य, अंश या स्पष्टीकरण के विवरण का एक संक्षिप्त उल्लेख है।
>
> 24. इसलिए, नोट केवल व्याख्यात्मक प्रकृति का था और इस प्रकार मुख्य प्रावधान की कठोरता कम नहीं हुई थी।"

12. हालाँकि, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वकील श्री वी. शेखर ने हमारा ध्यान केरल सरकार के वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी दिनांक 30.12.2005 के एक परिपत्र पत्र की ओर आकर्षित किया है, जिसके अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि अध्ययन उद्देश्य के लिए नियम 91 के तहत भत्ते के बिना छुट्टी एचपीएल की वरिष्ठता/पदोन्नति संचय के संबंध में सेवा लाभ प्रदान करेगी, लेकिन इसे वरिष्ठता/पदोन्नति और अर्जित अवकाश के संचय में नहीं गिना जाएगा।

13. इस तथ्य के अलावा कि उक्त परिपत्र दिनांक 30.12.2005 को जारी किया गया था और इसे पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया गया था, केवल सेवा लाभों के लिए अवधि की गणना के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था, ना कि वरिष्ठता/पदोन्नति के लिए। इसे शिक्षा विभाग ने नहीं बल्कि वित्त विभाग ने जारी किया था। यह कानूनन वैधानिक नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता है।

14. निर्विवाद रूप से, अपीलकर्ता दिनांक 01.06.1991 से 28.02.1993 की अवधि के लिए अध्ययन अवकाश पर था। उक्त अवधि के दौरान, वह पढ़ा नहीं रहे था। उक्त अवधि के दौरान उसे कोई शिक्षण अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। यदि उक्त अवधि को नियमों के नियम 45 के तहत परिकल्पित शिक्षण अनुभव की गणना के उद्देश्य से बाहर रखा गया है, तो हेडमास्टर के पद पर पदोन्नति के लिए उस पर विचार किए जाने का सवाल ही नहीं उठता। किसी व्यक्ति को किसी विशेष पद के संबंध में पदोन्नति/नियुक्ति के लिए विचार करने से पहले पात्रता शर्त पूरी होनी चाहिए।

15. श्री शेखर का तर्क कि उच्च न्यायालय इस पर ध्यान देने में विफल रहा कि नियमों के नियम 45 से अल्पसंख्यक संस्था को नियंत्रित नहीं किया जाएगा, इसे खारिज कर दिया गया है। नियम 45 की वैधता को चुनौती नहीं दी गई है। वह, किसी भी स्थिति में, उक्त विवाद नहीं उठा सकता। इस आशय का विवाद केवल संस्था द्वारा ही उठाया जा सकता है। इसने विशेष अनुमति याचिका को प्रस्तुत नहीं की है। इसलिए, क्या प्रतिवादी संख्या 2 को भारत के संविधान के अनुच्छेद: 30 के खंड (1) के तहत संरक्षित उसके अल्पसंख्यक चरित्र को देखते हुए प्रबंधन द्वारा वैध रूप से नियुक्त किया जा सकता है, यह हमारे विचार का विषय नहीं है।

16. श्री शेखर ने तर्क दिया कि इस तरह का आक्षेप अपीलकर्ता के लिए भी उपलब्ध है कि इस परिस्थिति में यदि प्रतिवादी संख्या 2 की नियुक्ति को वैध माना जाता है तो हेडमास्टर का पद उसकी सेवानिवृत्ति पर फिर से खाली होना माना जाना चाहिए, जो अधिकारियों को उसकी पदोन्नति के मामले पर विचार करने में मदद नही करेगा। को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

17. उक्त तर्क को स्वीकार करने की स्थिति में हम नहीं हैं। 1994 में रिक्ति उत्पन्न हुयी। स्कूल के प्रबंधन, राज्य सरकार और उच्च न्यायालय की विभिन्न पीठों

ने भी विभिन्न मुकदमों में मामले के केवल उस पहलू पर विचार किया, अर्थात्, प्रतिवादी संख्या 6 ने पात्रता मानदंडों को पूरा किया था और इसलिए, उसे नियुक्त किया गया था। प्रासंगिक समय पर अपीलकर्ता तस्वीर में कहीं नहीं था। उनके कहने पर, अदालत किसी बड़े सवाल पर विचार नहीं कर सकती जो सीधे उसके विचार के लिए नहीं उठाया गया था। जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता, यह तय है कि अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता।

18. उपरोक्त कारणों से, इस अपील में कोई योग्यता नहीं है, जिसे तदनुसार अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 को देय लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है। अधिवक्ता की फीस 10,000/- रुपये निर्धारित की गयी है।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कविता कच्छवाहा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।